सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई

DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फ़ाइल संख्या: 20-16/4/2020-O/o प्रशिक्षण-नौमनि | दिनांक: 17.12.2020

नौमनि आदेश संख्या 2020 का 40

विषय: समुद्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आयोजन के संबंध में दिनांक 01.10.2020 के नौमनि आदेश संख्या 28/2020 का अनुशेष-II

1. जबकि, निदेशालय ने दिनांक 12.11.2020 के नौमनि आदेश संख्या 38/2020 के माध्यम से सभी एसटीसीडब्ल्यू पाठ्यक्रमों के सूचीकरण के पश्चात सभी अनुमोदित एमटीआई में एसटीसीडब्ल्यू पाठ्यक्रमों के आयोजन की अनुमति दी है.

2. जबकि नौमनि आदेश संख्या 38 का अनुच्छेद 10 यह निर्दिष्ट करता है कि कुछ पाठ्यक्रमों के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए ई-गवर्नेंस प्रणाली में परिवर्तन किए गए हैं.

3. निदेशालय ने नौमनि आदेश संख्या 38 में अनुलग्नक के रूप में अनुसूचित पाठ्यक्रमों का फिर से जांच किया और पाया कि इसमे अन्य कुछ पाठ्यक्रमों को शामिल करने की आवश्यकता है. इसको ध्यान में रखते हुए, सभी पाठ्यक्रमों की समायोजित सूची इस आदेश के अनुलग्नक-I में दी गयी है. इस आदेश का अनुलग्नक-I नौमनि आदेश संख्या 38/2020 में संलग्न अनुलग्नक के अधिक्रमण में जारी किया जाता है.

4. सामान्य सुरक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (Basic Safety Training) हेतु तीन स्तरीय क्रियाविधि.

4.1. जबकि, निदेशालय ने पीएसटी, एफपीएफएफ, ईएफए और पीएसएसआर सहित चार 'बेसिक सेफटि ट्रेनिंग कौर्सेस' एक संयुक्त पाठ्यक्रम के रूप में आयोजित करना सभी एमटीआई के लिए अनिवार्य बनाया है और दिनांक 221.03.2020 के प्रशिक्षण परिपत्र संख्या 06/2018 के माध्यम से एकल संयुक्त प्रमाणपत्र जारी किए हैं. तदनुसार, बीएसटी पाठ्यक्रम को उसके चार विशिष्ट पाठ्यक्रमों को सम्मिलित कर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम आईडी दिया है.

4.2. एमटीआई बीएसटी पाठ्यक्रम आईडी के साथ बीएसटी पाठ्यक्रम के लिए बैच विवरण अपलोड करेगा. उम्मीदवार को संयुक्त पाठ्यक्रम के रूप में बीएसटी तीन स्तरीय क्रियाविधि का पालन करते हुए पूरा करना होगा जिसमें निम्न कार्य शामिल हैं:

4.2.1 ई-शिक्षण मोड्यूल पर पीएसटी, एफपीएफएफ, ईएफए और पीएसएसआर सहित पाठ्यक्रमों की संतोषजनक पूर्ति.

4.2.2. इस आदेश में संलग्न अनुलग्नक-I के अनुसार वर्चुअल क्लास/लाइव वीडियो सत्र एवं प्रैक्टिकल की पूर्ति.

4.2.3. बीएसटी घटक पाठ्यक्रम हेतु ऑनलाइन एक्ज़िट परीक्षा में सफल होना, अर्थात पीएसटी,एफपीएफएफ,ईएफए और पीएसएसआर के क्रम में, जो कि उक्त बीएसटी बैच अपलोड के साथ उपलब्ध होगा.

4.2.4. हर एक घटक पाठ्यक्रम के एक्ज़िट परीक्षा में उम्मीदवार को 3 प्रयासों की अनुमति दी जाएगी. बीएसटी के किसी भी एक घटक पाठ्यक्रम के तीनों प्रयासों में असफल होनेवाले अम्मीदवार को सम्पूर्ण बीएसटी पाठ्यक्रम फिर से पूरा करने की आवश्यकता नहीं है.

4.2.5. अनुलग्नक-I के क्रम संख्या 2 से 5 पर बीएसटी चार विभिन्न पाठ्यक्रमों का संयोजन होने पर आवश्यक है कि यह चार पाठ्यक्रम चार विभिन्न पाठ्यक्रम आईडी के साथ विभिन्न पाठ्यक्रम के रूप में बने रहें. बीएसटी पाठ्यक्रम के किसी भी घटक में तीनों प्रयासों में असफल होने वाले उम्मीदवार को सिर्फ उक्त पाठ्यक्रम को फिर से करने और उसी एमटीआई में एक्ज़िट परीक्षा के तीन प्रयास ही दिये जाएँगे. ऐसी स्थिति में एमटीआई अनुलग्नक-I के क्रम संख्या 2 से 5 में उल्लिखित पाठ्यक्रम हेतु विशेष पाठ्यक्रम आईडी के साथ नए बैच विवरण अपलोड करेगा.

4.2.6. बीएसटी पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र अन्य दो स्तरों की पूर्ति के साथ उपर्युक्त तरीके में उम्मीदवार द्वारा सभी घटक पाठ्यक्रमों की संतोषजनक पूर्ति के पश्चात ही जारी किया जाएगा.

4.3 तथापि, यदि उम्मीदवार भर्ती लिए गए बीएसटी पाठ्यक्रम की अंतिम तिथि के 180 दिन के भीतर बीएसटी पाठ्यक्रम के सब तीन स्तरों मे असफल होता है तो उसे पूरा बीएसटी पाठ्यक्रम वापस करना होगा.

4.4 आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि पीएसटी,एफपीएफएफ,पीएसएसआर और ईएफए को इस आदेश के अनुलग्नक-I के क्रम संख्या 2 से 5 में विभिन्न पाठ्यक्रमों के रूप में शामिल किया है ताकि किसी कारण विशेष पाठ्यक्रम करने की आवश्यकता पड़ने वाले एवं सीडीसी प्राप्त समुद्रकर्मियों की विशेष आवश्यकता को पूरा किया जा सके. यह नोट किया जाए कि ई-गवर्नेंस प्रणाली में नामांकन एवं बैच अपलोड सिर्फ निम्न

उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है (i) जिन उम्मीदवारों को सीडीसी प्राप्त नहीं हुई है और जिन्होने बीएसटी के एक या ज़्यादा घटक पाठ्यक्रमों में असफल रहे हैं और उन समुद्रकर्मी जिनको सीडीसी प्राप्त हुई है. कृपया नोट करें कि बिना सीडीसी के उम्मीदवारों के नामांकन का प्रयास (बीएसटी के भीतर प्रत्येक भाग-पाठ्यक्रम में असफल होने के अलावा) प्रणाली द्वारा स्वतः रद्द किया जाएगा.

5. पूर्ण अवधि डिजिटल पाठ्यक्रम पूर्ति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु एसओपी एवं प्रक्रिया जिसके लिए अपूर्ण प्रैक्टिकल प्रशिक्षण की पूर्ति की 18 महीनों की सीमित वैधता की डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किया गया है , वह विकास के अधीन है और जल्द ही जारी किया जाएगा.

18/12/2020

(अमिताभ कुमार)
नौवहन महानिदेशक एवं
अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी एमटीआई